साहेबगंज समाहरणालय,
जिला आपदा शाखा।

निविदा आमंत्रण सूचना

वर्ष 2019 में आसन्न बाढ़ की संभावना को देखते हुए अल्प समय में बाढ़ प्रभावित आबादी को राहत सामग्रियों को मुहैया कराने हेतु बाढ़ साहाय्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः निम्नांकित सामग्रियों के दर निर्धारित करने हेतु इच्छुक निबंधित आपूर्तिकर्त्ता/फर्म से मुहरबंद निविदा निम्नांकित शर्तो के अधीन आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक– 26-7-19 को ~~अपराह्न~~/पूर्वाह्न 12:00 AM बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय (जिला आपदा शाखा) में प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन क्रय समिति के सदस्य के समक्ष दिनांक– 26-7-19 अपराह्न 3:00 PM बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी।

निविदा की शर्त

1. निविदादाता को निविदा के साथ सुरक्षित जमा स्वरूप 50000/–(पचास हजार) का बैंक ड्रफ्ट/बैंकर्स चेक जो उपायुक्त के पदनाम से होगा जमा करना अनिवार्य है, स्वीकृत निविदा दाता को छोड़कर असफल निविदादाताओं को अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक वापस कर दिया जायेगा।
2. निर्धारित समय के बाद अथवा अधुरे एवं खुले लिफाफों में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. दर स्पष्ट रूप में मानक के अनुसार अंकित करना होगा।
4. निविदादाता को आयकर/बिक्रीकर , भैट सहित प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना होगा। इसके अभाव में उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। याचित सामग्री अंचल कार्यालय में या राहत सामग्री आपूर्ति हेतु चयनित स्थल पर पहुँचाकर आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए अलग से किसी प्रकार का परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा।
5. निविदादाता को निविदा खोलने के समय क्रय समिति के समक्ष सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता को PWD Code के नियमों का अनुपालन करना होगा।
7. न्यूनतम दर (L 1) को ही स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा। अच्छी गुणवत्ता के अनुरूप दर का निर्धारण होगा।
8. कुल के न्यूनतम का औसत दर का सामंजन करते हुए आपूर्तिकर्त्ता को चयनित किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
10. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दोनों अलग–अलग लिफाफा में होगा। तकनीकी रूप से स्वीकार निविदा का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
11. स्वच्छता प्रमाण पत्र (काली सूची रहित) शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा।
12. स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दिया जायेगा।

आपूर्ति संबंधी शर्त

13. नोडल पदाधिकारी द्वारा दूरभाष पर दिये गये निदेश एवं लिखित आदेश प्राप्ति के 12 घंटे के अंदर राहत सामग्री की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
14. नोडल पदाधिकारी के आदेश पर राहत सामग्री को निदेशित स्थान पर आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
15. सामग्री के परिमाण एवं गुणवत्ता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा।
16. चयनित आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी को अगले क्रय समिति की बैठक आहूत किये जाने तक विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदा मैं मांग के अनुरूप राहत सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का विवरण

	क्रय किये जाने वाले सामग्री	दर का मानक
1.	चावल (ब्रांड–लाडली/शारदा एवं मास्टर)	:– दर प्रति क्वींटल (25 किलो का पैकेट)
2.	चना दाल	:– दर प्रति क्वींटल
3.	मसूर दाल	:– दर प्रति क्वींटल
4.	चना	:– दर प्रति क्वींटल
5.	सत्तु (ब्रांड– गुलाब/शुद्ध चना का स्थानीय सत्तु)	:– दर प्रति क्वींटल/किलो ग्राम
6.	चूड़ा	:– दर प्रति क्वींटल
7.	गुड़	:– दर प्रति क्वींटल
8.	चीनी	:– दर प्रति क्वींटल/किलो ग्राम
9.	नमक (ब्रांड–अंकुर/पंतजली/आई शक्ति–टाटा)	:– दर प्रति किलो ग्राम
10.	पॉव रोटी (ब्रांड–विग–बी/ब्रिटानिया/मॉर्डन)	:– 400 ग्राम का पैकेट
11.	राहत शिविर में भोजन (मध्यान्ह एवं रात्रि) एवं सुबह का नास्ता (व्यस्क 60/–रू0 एवं बच्चा–45/–रू0)	:– भोजन एवं नास्ता की सूची।
12.	दिया सलाई (ब्रांड–Home Light/AIM)	:– दर प्रति बंडल(10 पीस)
13.	मोमबत्ती (24X6) (ब्रांड–त्रिशुल/टाईगर)	:– दर प्रति पीस/पैकेट
14.	प्लास्टिक सीट (500 गेज का)	:– दर प्रति क्वींटल एवं दर प्रति मीटर
15.	पॉलिथिन बैग(पाँच किलो ग्राम राहत सामग्री माप के साईज का)	:– दर प्रति किलो ग्राम(20 माईकोन से अधिक मोटाई)
16.	प्लास्टिक तिरपाल (साईज 9' × 12' – 170 जी0एस0एम0 का)	:– दर प्रति पीस

15/7/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।